8. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

स्वयं सहायता समूहों में कम नकदी वाले लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए संसाधन सामग्री

8.1 कम नकदी वाले लेनदेन के आयाम

1. स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों का व्यक्तिगत बैंक खाता है
2. सभी व्यक्तिगत बैंक खातों को आधार तथा मोबाइल नंबर से जोड़ा गया है
3. स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते को हस्ताक्षरकर्ताओं के आधार नंबर के साथ सीड किया गया है
4. स्वयं सहायता समूह के सभी लेनदेन बिजनेस करेसपांडेंस, मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से या डिजिटल वालेट के माध्यम से नकदी रहित रूट से किए जाते हैं।
5. स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के पास सक्रिय रुपे डेबिट कार्ड है
6. स्वयं सहायता समूह के सदस्य या उसके परिवार से एक व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया गया है तथा डेबिट कार्ड, डिजिटल वालेट एप या यूएसएसडी मोबाइल एप का प्रयोग करके रिटेल स्टोर पर नकदी रहित भुगतान करने में समर्थ हैं

8.2 कार्यान्वयन

8.2.1 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का खाता खोलना

8.2.1.1 बैंक की शाखा में खाता खोलना

स्वयं सहायता समूह के जिन सदस्यों का व्यक्तिगत खाता नहीं है वे बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर अपने खाते खोल सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य उसी बैंक का चयन कर सकते हैं जिसमें स्वयं सहायता समूह का खाता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। बैंक की शाखा में खाता खोलने के चरण निम्नलिखित हैं :

i. बैंक खाता खोलने का फार्म भरना।

ii. अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के वैध दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना। बैंक खाता खोलने के लिए बैंकों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं :

- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार पत्र / कार्ड
- नरेगा कार्ड

- पैन कार्ड

iii. जिन व्यक्तियों के पास आधिकारिक तौर पर मान्य कोई दस्तावेज नहीं है वे बैंकों में लघु खाता खोल सकते हैं। स्वयं प्रमाणित फोटोग्राफ के आधार पर तथा बैंक के कर्मचारियों की उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर करके / अंगूठे का निशान लगाकर लघु खाता खोला जा सकता है। सकल जमा की दृष्टि से ऐसे खातों की सीमा होगी (एक लाख रुपए से अधिक नहीं), सकल आहरण की सीमा होगी (माह में दस हजार रुपए से अधिक नहीं) और बैलेंस की सीमा होगी (किसी भी समय पचास हजार रुपए से अधिक नहीं)। ऐसा खाता 12 माह के लिए वैध होगा जिसके दौरान खाता धारक को कोई मान्य केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद खाता बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) में परिवर्तित हो जाएगा। इन खातों को खोलने के लिए न्यूनतम बैलेंस संबंधी कोई अपेक्षा नहीं है।

iv. बैंक की शाखा से पासबुक प्राप्त करें

8.2.1.2 ***ग्राहक सेवा बिंदु / बिजनस करेसपांडेंट आउटलेट पर खाता खोलना***

स्वयं सहायता समूह के जिन सदस्यों के पास आधार कार्ड है वे ग्राहक सेवा बिंदु या बिजनेस करेसपांडेंट आउटलेट पर भी अपना व्यक्तिगत खाता खोल सकते हैं। सीएसपी / बीसी आउटलेट पर बैंक खाता खोलने के चरण निम्नलिखित हैं :

i. बैंक खाता खोलने का फार्म भरना

ii. बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) का प्रयोग करके पहचान को अधिप्रमाणित करना

iii. नामित बैंक शाखा द्वारा प्राधिकार के बाद खाता संख्या जारी की जाएगी

8.3 आधार एवं मोबाइल नंबर से जोड़ना

डिजिटल भुगतान शुरू करने के लिए आधार एवं मोबाइल नंबर से व्यक्तिगत खातों को जोड़ना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जा सकते हैं :

8.3.1 बैंक शाखा में आधार एवं मोबाइल नंबर की सीडिंग

स्वयं सहायता समूह के सदस्य बैंक शाखा में अपने अपने आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर के साथ अपने खाते को सीड कर सकते हैं।

i. आधार नंबर की सीडिंग के लिए सहमति पत्र भरें

ii. आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें और बैंक की शाखा में जमा करें

iii. आधार नंबर को अपडेट करने के लिए सिस्टम को सामान्यतया प्रोसेस करने में लगभग 2-3 दिन का समय लगता है

iv. स्वयं सहायता समूह के जिन सदस्यों के पास मोबाइल है वे अपने अपने बैंक खाते में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए बैंक की शाखा को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

8.3.2 **सीएसपी / बीसी आउटलेट पर आधार एवं मोबाइल नंबर की सीडिंग**

स्वयं सहायता समूह के सदस्य सी एस पी / बी सी आउटलेट पर भी अपने अपने आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर के साथ अपने खाते को सीड कर सकते हैं।

i. आधार नंबर को सीड करने के लिए सहमति पत्र भरें

ii. व्यक्तिगत सदस्यों से अपने बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) से आधार नंबर की सीडिंग को अधिप्रमाणित करने की अपेक्षा होती है

8.4 एसएचजी खाते की आधार नंबर के साथ सीडिंग

स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के आधार नंबर को बैंक की शाखा में सीड किया जा सकता है। एसएचजी खाते के लिए एक प्राथमिक मोबाइल नंबर निर्धारित किया जाना चाहिए।

8.5 बिजनेस करेसपांडेंट, मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से या डिजिटल वालेट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का नकदी रहित लेनदेन

स्वयं सहायता समूहों के अंदर (स्वयं सहायता समूह एवं इसके सदस्यों के बीच) तथा स्वयं सहायता समूह एवं इसके संघों के बीच लेनदेन का निष्पादन डिजिटल मोड का प्रयोग करके होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए स्वयं सहायता समूह क्षेत्र में बिजनेस करेसपांडेंट की सेवाओं, मोबाइल अप्लीकेशन या डिजिटल वालेट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाना चाहिए :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच तथा स्वयं सहायता समूह से सदस्य को संपूर्ण लेनदेन डिजिटल मोड के माध्यम से होता है, बीसी आउटलेट पर स्वयं सहायता समूह के संयुक्त रूप से प्रचालित खातों का

लेनदेन करने की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। सभी एसआरएलएम/प्रमोटर को यह सुविधा प्रदान करने के लिए भागीदार बैंकों पर दबाव डालना चाहिए।

8.6 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को डेबिट कार्ड जारी करना

स्वयं सहायता समूह के जिन सदस्यों ने बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना है वे सभी डेबिट कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। सभी सदस्यों को अपनी अपनी बैंक शाखाओं में डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए। डेबिट कार्ड की डिलीवरी खाता धारक के पते पर होती है। बैंक की शाखा से भी कार्ड प्राप्त किए जा सकते हैं। निजीकृत डेबिट कार्ड की डिलीवरी में सामान्यतया लगभग 7 से 15 दिन का समय लगता है। बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड की पिन अलग से डाक से भेजी जाती है तथा पहचान का मान्य प्रमाण दिखाकर खाता धारक द्वारा बैंक की शाखा में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है।

बैंकों के पास गैर निजीकृत डेबिट कार्ड भी होते हैं जो बैंक की शाखाओं में आसानी से उपलब्ध होते हैं। "रेडी किट" के नाम से शाखा स्तर पर गैर निजीकृत कार्ड उपलब्ध हैं तथा पिन के साथ इसे तुरंत दिया जा सकता है जिसका प्रयोग अगले दिन से ही किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह के सदस्य रुपे डेबिट कार्ड पर जोर दे सकते हैं क्योंकि ऐसे कार्डों का प्रसंस्करण शुल्क अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रसंस्करण शुल्क से काफी कम है।

8.6.1 **डेबिट कार्ड को सक्रिय करना**

डेबिट कार्ड प्राप्त होने पर सभी सदस्यों को नजदीकी एटीएम जाकर कार्ड को तुरंत सक्रिय करना चाहिए। कार्ड को सक्रिय करने के लिए खाता धारक को एटीएम स्लाट में कार्ड डालना चाहिए तथा बैंक द्वारा प्रदान की गई पिन का प्रयोग करना चाहिए। एटीएम पिन बदलने के लिए पूछेगा। अब खाता धारक द्वारा प्रयोग के लिए डेबिट कार्ड तैयार है।

8.7 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा रिटेल स्टोर पर नकदी रहित भुगतान

स्वयं सहायता के जिन सदस्यों के पास डेबिट कार्ड है वे रिटेल आउटलेट पर नकदी रहित भुगतान करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। एटीएम या बिजनेस करेसपांडेंट आउटलेट पर इस्तेमाल होने वाले एक कार्ड से दूसरे कार्ड में धन के अंतरण के लिए भी कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। किए गए लेनदेन के अधिप्रमाणन के लिए खाताधारकों से 4 डिजिट की पिन का प्रयोग करने की अपेक्षा होती है जिसे गोपनीय रखना चाहिए। बीसी आउटलेट तथा चुनिंदा रिटेल स्टोर पर लेनदेन का अधिप्रमाणन बायोमेट्रिक का प्रयोग करके भी किया जा सकता है बशर्ते खाता आधार नंबर से लिंक किया गया हो।

विकल्प के तौर पर स्वयं सहायता समूह के सदस्य धन का अंतरण करने या रिटेल आउटलेट पर भुगतान करने के लिए मोबाइल वालेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दो प्रकार के वालेट उपलब्ध हैं – (क) एप आधारित वालेट जिसके लिए स्मार्ट फोन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है और (ख) यूएसएसडी आधारित वालेट जिसका प्रयोग इंटरनेट के किसी कनेक्शन के बगैर फीचर फोन पर किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह के सदस्य या परिवार के सदस्य जिनके पास स्मार्ट फोन तथा इंटरनेट की सुविधा है, डिजिटल वालेट के लिए अप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और व्यक्तिगत वालेट खाता सृजित कर सकते हैं। सभी बड़े बैंकों के अपने अपने डिजिटल वालेट हैं, उदाहरण के लिए एसबीआई के पास एसबीआई बडी के नाम से वालेट है; आईसीआईसीआई बैंक के पास आईसीआईसीआई पाकेट के नाम से वालेट है। इन बैंकों के अलावा तृतीय पक्षकार के प्रदाता भी अपने वालेट प्रदान करते हैं, उदाहरण के लिए पेटीएम, फ्रीचार्ज, आक्सीजेन आदि।

डेबिट कार्ड के ब्यौरों का प्रयोग करके व्यक्तिगत वालेट में रकम डाली जा सकती है। जब वालेट में रकम डल जाती है तो यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए अथवा रिटेल आउटलेट पर उसका प्रयोग किया जा सकता है। भुगतान के लिए संबंधित

वालेट पर उपलब्ध फीचर्स के आधार पर क्यूआर कोड के मोबाइल नंबर के अनुसार अदाता की पहचान की जाती है। वालेट रखने वाले व्यक्ति समान सुविधा रखने वाले अन्य व्यक्तियों से भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल वालेट में जमा रकम को बैंक खाते में भी अंतरित किया जा सकता है।

जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन तथा इंटरनेट की सुविधा है वे धन का अंतरण करने और भुगतान करने के लिए यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग अप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। खाता धारक इस प्रयोजन के लिए एनपीसीआई द्वारा सृजित राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफार्म [*99#] का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक स्वयं सेवा माडल है। इस समय 41 बैंक इस प्लेटफार्म से जुड़े हैं। व्यक्ति फीचर फोन से इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके अपने बैंक खाते को अक्सेस कर सकते हैं। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए खाता धारकों को बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने की जरूरत होती है। जब खाता पंजीकृत हो जाता है तो प्रयोक्ताओं को एक एमपीआईएन सृजित करने की जरूरत होती है। एमपीआईएन सृजित करने के लिए अनुरोध बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है या विकल्प के तौर पर यह एटीएम में भी सृजित

किया जा सकता है। जब एमपीआईएन सृजित हो जाता है तो दूसरे खाते में धन का अंतरण करने के लिए प्लेटफार्म का प्रयोग किया जा सकता है। यह फीचर 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

एक अन्य यूएसएसडी आधारित सेवा है जिसमें सहायता प्राप्त तथा स्वयं सेवा दोनों के संस्करण हैं जो टेलीकॉम आपरेटर वोडाफोन द्वारा प्रदान किया जाता है जिसका नाम एम-पैसा है। एम-पैसा विभिन्न स्थानों पर मर्चेंट प्वाइंट स्थापित करता है। जिन प्रयोक्ताओं के पास स्मार्ट फोन नहीं है वे एम-पैसा के मर्चेंट लोकेशन पर जा सकते हैं और व्यापारी को भुगतान

की गई नकदी के विरुद्ध अपना एम-पैसा वालेट (या डेबिट कार्ड) लोड कर सकते हैं। जब एम-पैसा वालेट में रकम डल जाती है तो बैंक खाते में धन का अंतरण करने या रिटेल आउटलेट पर भुगतान करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है।